



प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 02 जून, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा के बकाया विद्युत देयों का भुगतान हेतु प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अर्थ नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पत्रांक-सीएसयूपी-17/बजट/2026-27, दिनांक 06.04.2026, वित्त नियंत्रक, बांदा कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पत्र सं0-85/एफ.सी./2026, दिनांक 16.04.2026, वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पत्रांक-176/ए.एन.डी.यू.ए.टी.08/लेखा./अनुदान/2026, दिनांक 26.05.2026, वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक:सवप/2026/वि0नि0/568, दिनांक 26.05.2026 एवं के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा में बकाया विद्युत देयों का भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रु. 500.00 लाख के सापेक्ष (प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा हेतु क्रमशः रु.31.25 लाख) प्रथम किश्त के रूप में रु0 125.00 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों/लेखाशीर्ष में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- (3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि को बकाया विद्युत बिलों के आधार पर कोषागार से आहरित की जायेगी।
- (5) धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- (6) स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा।
- (8) विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण का अधिकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को होगा। उक्त अनुदान को अंतिम रूप से विश्वविद्यालय द्वारा किये गये वास्तविक व्यय कृषि विश्वविद्यालय की चालू वर्ष के लेखों पर आडिट रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (9) देयक पर कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- (10) संबंधित कुलपति/वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त सचिव, 30प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।
- (11) स्वीकृत धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2415801203100** कृषि विश्वविद्यालयों के बकाया विद्युत देयों का भुगतान **मानक मद 20** सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनुसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदरी) प्रथम /द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज,
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज,
3. मण्डलायुक्त, कानपुर/अयोध्या/ मेरठ/ चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा,
4. जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, कानपुर/अयोध्या /मेरठ/बांदा,
5. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, 30प्र0, कृषि भवन, लखनऊ,
7. सचिव, 30प्र0, कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।